

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 13.10.14

संख्या-1/श्रम वि०ई० 6-6011/2013 खंड 2 श्र०सं० 198 / श्री अविनाश कुमार,
जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को अपने कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त अगले
आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०ई० 6-6011/2013 खंड 2 श्र०सं० 199 / श्री कौशल कुमार
मधुकर, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सहरसा को अपने कार्यों एवं
दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णियाँ का अतिरिक्त
प्रभार दिया जाता है।

2. निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० 38 सह
पठित ज्ञापांक 861, दिनांक 26.9.14, जिसके द्वारा श्री अविनाश कुमार, जिला नियोजन
पदाधिकारी, किशनगंज को जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
घोषित किया गया था, को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 6-6011/2013 खंड 2 श्र०सं० 199 / पटना, दिनांक- 13.10.14

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार
पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उप कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,
पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला नियोजन
पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा
पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम
संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।